# श्रेष्ठ योजना

## प्रलिम्सि के लिये:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, श्रेष्ठ योजना।

## मेन्स के लिये:

शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, अनुसूचित वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान में भारत सरकार की विभिन्नि शैक्षिक योजनाओं का योगदान।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना शुरू की है।** इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है।

- **अनुसूचित जाति** श्रेणी के छात्रों को **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर** प्रदान करने के लक्ष्य के साथ **'श्रेष्ठ'** योजना बनाई गई थी।

## 'श्रेष्ठ' योजना:

- **परिचय:**
  - इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।
  - CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के **कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश** प्रदान किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - **सरकारी पहलों और योजनाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित** करना।
  - अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास के लिये **अनुकूल वातावरण तैयार करना।**
  - शिक्षा क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जाति (SC) के **वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयोग करना।**
  - योग्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को **उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें।**
- **पात्रता:**
  - अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं।
  - इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं।
  - चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है।
    - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा **9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश** के लिये इसका आयोजन किया जाएगा।
- **लाभार्थी:**
  - सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग **3000 छात्रों** को **कक्षा 9 और कक्षा 11** में प्रवेश दिया जाएगा।
  - मंत्रालय उनके शिक्षा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कि वे अपनी कक्षा **12वीं की शिक्षा** पूरी नहीं कर लेते।

## SCs के लिये अन्य संबंधित पहलें:

- **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY):**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी है।

- नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)** के तहत निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ:**
  - यह योजना **वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।
  - सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए।
- **एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।
  - **लाभार्थी:** अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, खानाबदोश और घुमंतू जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।

## स्रोत- पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/shreshta-scheme